दिनांक 28.06.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

निगम की उड़नदस्ता टीम मौसमी बीमारी एवं डेंगू नियंत्रण हेतु खुले में रखे टायर एवं बांसी दूषित खाद्य/पेय पदार्थ पर कर रही है कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के उड़नदस्ता की टीम द्वारा आज विभिन्न पात्रों में ठहरने वाले पानी में मच्छर के लार्वा उत्पत्ति न हो इसलिए नेहरु नगर जोन 01 के अंतर्गत कबाड़ी में टायर में भरे पानी को खाली करवाया गया और अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायर खाद्य एवं पेय पदार्थ रखने वालों पर निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ , नालियों पर कचरा , सफाई व्यवस्था , लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया जिसमें 10 व्यवसायियों से जो बिना लायसेंस व प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , रास्ता बाधित कर बोर्ड लगाने , गंदगी फैलाने, रोड बाधा आदि शुल्क के रुप में 18500 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस , गंदगी फैलाने , प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा जोन 01 में ललित साहू कबाड़ी व्यवसाई, कृष्णा कैफे सदभावना चौक, ताज टायर , एस. डेलीनिड्स , अनिशा सायकल स्टोर्स , कल्पना आईसक्रीम , जयन्द बूक हाउस आदि पर कार्यवाही की गई। आयुक्त के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित , एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है।

आयुक्त ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि अपने आसपास के स्थानों में जलजमाव न होने दें, विभिन्न पात्र जो जल को एकत्रित करते हैं मे सावधानी बरतें , सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें और यातायात प्रभावित न करें ताकि आप पर होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।

जनसम्पर्क अधिकारी